न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 9/2018 (राजसमन्द डिक्री)

1. प्रेमसिंह पिता किशनसिंह जी रावत, निवासी नन्दावट, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
2. लक्ष्मणसिंह पिता किशनसिंह जी रावत, निवासी नन्दावट, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पिता डूंगरसिंह जी रावत, निवासी नन्दावट, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीदलार भीम, जिला राजसमन्द।
3. सब रजिस्ट्रार, तहसीलदार भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, भीम
दिनांक 20.05.2016, प्र. सं. 55/12

———:::———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री मदनसिंह चौहान अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1
3. श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 3

———:::———

निर्णय **दिनांक 27–06–2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नन्दावट में अन्य आराजियात के अतिरिक्त वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 429 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा एवं आराजी नंबर 430 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है। दिनांक 6 नवम्बर 1995 को रामसिंह पिता पीथासिंह ने वादी को अन्य आराजियात के साथ उक्त आराजियात का रजिस्टर्ड विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया था, तब से वादी उक्त भूमियों पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी ने उसी दिन रजिस्ट्री देखी तो उसमें वाद पत्र

की कलम संख्या ''क'' में वर्णित आराजियात का 1/4 हिस्सा तथा कलम ''ख'' में वर्णित आराजियात का 1/17 हिस्सा अंकित होना पाया तथा प्रतिफल की राशि भी 60,000/– हजार के स्थान पर 47,000/– ही होना पाया। वादी द्वारा इस पर रामसिंह से कहने पर उसने कहा कि रजिस्ट्री तो कम कराने में भूल हो गयी है, किन्तु इकरारनामा लिखकर देता हूँ कि बाकी जमीन की रजिस्ट्री भी तुम्हारे नाम करवा दूँगा। अतः वादी को वादग्रस्त भूमियों का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम हटाया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20–05–2016 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 19–02–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व लोक अदालत में उन्हें बिना सुने उनकी अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 21 जनवरी 2018 को पटवारी से नकल लेने पर हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि राजस्व कैम्प में दिनांक 20–05–2016 को अपीलान्टगण के हस्ताक्षर हैं। इसलिए अपील देरी से प्रस्तुत करने का उसका कथन विश्वसनीय प्रकट नहीं होता है। फिर भी प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री मुकेश तलेसरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 औपचारिक पक्षकार की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने सहमति से निर्णय पारित करने का अंकन किया है, जबकि अपीलान्टगण द्वारा किसी प्रकार की कोई मौखिक या लिखित सहमति नहीं दी गयी है। वादी/रेस्पोन्डेन्ट ने अपंजीकृत दस्तावेजी के आधार पर खातेदारी चाही है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अपील 21 माह देरी से प्रस्तुत की गयी है, जिसका कोई युक्ति–युक्त कारण नहीं बताया है तथा वक्त निर्णय अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित थे, जिनकी सहमति से निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा तो यह पाया कि राजस्व रेकार्ड में भूमियां पक्षकारों की सहखातेदारी में अंकित है। अधिनस्थ न्यायालय ने आपसी समझाईश से वाद डिक्री करने का अंकन किया है, जबकि इस प्रकार का कोई समझौता पत्र अधिनस्थ न्यायालय के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20–05–2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्टगण को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूत के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 26–08–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27–06–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.** .....

सुरेन्द्रसिंह पिता प्रेमसिंह राठौड़, नि0 बेमला, तह0 गिर्वा हाल मकान नं.37 नाकोड़ा नगर 11, धाऊजी की बाड़ी बेड़वास, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

बनाम

दलपतसिंह पिता मनोहरसिंह देवड़ा निवासी सिंगावतों का वाडा, देबारी तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं.....**47 / 2018**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**भीम**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....18**.....माह.....**07**.....**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**13**....माह.....**03**.....सन् **2019** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी..**श्री ओंकारलाल डांगी**..मिनजानिब अपीलान्ट व..**श्री महेन्द्र मेनारिया/राजमल राव**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–07–2016 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**13**.....माह.....**03**.....**2019** को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।